

संख्या : 1723 / 1-10-2011-12(34) / 2011

प्रेषक,

कै०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बहराईच / शाहजहाँपुर / गाजियाबाद / पीलीभीत / बाराबंकी / गोण्डा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 07 जून, 2011

विषय : वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में घनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य आगामी वर्षा के पूर्व कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल धनराशि **रु० 21,11,12000/- (रुपये इक्कीस करोड़ ग्यारह लाख बारह हजार मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद	पत्र संख्या एवं दिनांक	विभाग	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रु० में)
1	बहराईच	आयुक्त पत्रांक 3276/आर०ए०-प्रथम/दैवी आपदा/बैठक/11, दिनांक 18 अप्रैल, 2011	बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा सिंचाई विभाग	घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आमपुर तटबन्ध के किमी० 9.395 से किमी० 9.750 तक तटबन्ध की पुनर्स्थापना का कार्य	364.94	364.94
				घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आमपुर तटबन्ध के किमी० 10.350 पर क्षतिग्रस्त स्पर एवं किमी० 10.115 तथा 10.230 पर क्षतिग्रस्त परक्यूपाइन स्टड के रिक्वूपमेन्ट का कार्य।	371.52	371.52
योग (बहराईच)					736.46	736.46

2	शाहजहाँपुर	जिलाधिकारी 86/सी0आर0ए0(आपदा) दिनांक 04 अप्रैल 2011	शारदा नहर खण्ड	गरा नदी के दाये तट पर अजीज स्परों की पुनर्स्थापना का कार्य	292.57	292.57
3	गाजियाबाद	आयुक्त पत्रांक 2441/13-23/2 008-10 दिनांक 16 मई, 2012	सिंचाई विभाग	कावड मार्ग के किमी0 149.637 से 161.150 तक के बाये किनारे पर बिटुमिन सड़क की मरम्मत के कार्य की परियोजना।	208.00	208.00
4	पीलीभीत	आयुक्त पत्रांक 197-99/टी0ए0सी0/बाढ़ आपदा/रेस्टोरेसन /2010-11, दिनांक 23 अक्टूबर 2010	शारदा सागर खण्ड सिंचाई विभाग	दूनी बैराज के सी0सी0 ब्लाक एवं लांचिंग एग्रेन के कार्यों की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	165.52	165.52
				देवहा नदी के दाये किनारे पर स्थित दूनी बैराज के स्पर संख्या 2 व गाइड बन्ध के मध्य मार्जिनल बन्ध की पुनर्स्थापना का कार्य	423.71	423.71
योग (पीलीभीत)					589.23	589.23
5	बाराबंकी	आयुक्त पत्रांक जे0ए0/तेरह-1(09-10)/230 दिनांक 13 मई 2011	सिंचाई विभाग	Estimate for restoration of EBC Bundh From km. 14.945 to 16.550 by constructing ring Bundh on left bank of river ghagra near village parasawal in district Barabanki	118.75	118.75
6	गोण्डा	आयुक्त पत्रांक 4031/आर0ए0-प्रथम/दैवी आपदा/बैठक/11 दिनांक 11 मई 2011	सिंचाई विभाग	सरयू नदी के दाये तट पर एलियन ब्रिज, चरसरी तटबन्ध के किमी 37.900 से किमी 52.400 के मध्य कटे हुए भाग की पुनर्स्थापना का कार्य	166.11	166.11
महायोग					2111.12	2111.12

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2010 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73) /2008, दिनोंक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश संख्या- जी.आई.-134/1-11-2007-46/97, दिनोंक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73) /2008, दिनोंक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जाये। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जाये अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः क्षति के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, 20 जून, 2005

द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हो तो उन्हें दिनोंक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,


(क०क० सिन्हा)

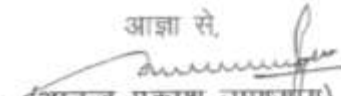
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-1723(1)/1-10-2011-12(34)/2011, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त देवीपाटन/बरेली/मेरठ/फैजाबाद/।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराईच/शाहजहाँपुर/गाजियाबाद/पीलीभीत/बाराबंकी/गोण्डा।।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेब साइट के उपयोगार्थ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व